PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 8, ISSUE 1

"महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा"

डॉ. ठक्कर हर्षदकुमार आर.
असिस्टंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
सी यु शाह आर्टस् कॉलेज अहमदाबाद
गुजरात भारत

आज नारी के प्रति अनेक प्रकार के अपराध हो रहे हैं । 'अपराध' कानूनी रूप से परिभाषित शब्द ही नहीं है, अपितु सामाजिक द्रष्टि से भी परिभाषित शब्द है । सामाजिक द्रष्टि से इसे सामाजिक नियमों का उल्लंघन या विचलन कहा जाता है । नारी को शारीरिक व मानसिक यातनाएँ देना, उसके साथ मार-पीट करना, उसका शोषण करना, नारीत्व को नंगा करना, भूखा-प्यासा रखकर या जहर आदि देकर उसको दहेज की बलि चढ़ा देना, निश्चित रूप से नारी के प्रति अपराध ही कहे जाएँगे ।

पूरे देश में नारियों के प्रति अपराधों एवं हिंसक घटनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है । एक वर्ष राज्यसभा में सरकार द्वारा केवल दिल्ली के बार में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में जो आँकड़े प्रस्तुत किए गए उनसे यह स्पष्ट पता चलता है कि उनके प्रति अपराधों मे वृद्धि हो रही है ।

भारतीय सरकार के गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्यरत संगठन 'नेशनल क्राइम रिकोर्डस ब्यूरो' प्रति वर्ष भारत में अपराध सम्बन्धी आँकडों का प्रकाशन करता है । इसी संगठन द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षो के आँकड़े जो 'क्राइम इन इण्डिया' में प्रकाशित किये जाते हैं । उनके अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होती जा रही है ।

घरेलू हिसा का अर्थः

आज नारी के प्रति आपराधिक हिंसा ही नहीं बढ़ रही है, अपितु घरेलू हिंसा में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है । घरेलू हिंसा का सम्बन्ध घर-गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है । विवाह के समय नारी सुनहरे स्वप्न देखती है कि अब प्रेम, शान्ति व आत्म-उपलब्धि का जीवन प्रारम्भ होगा । परन्तु इसके विपरीत सैकड़ों विवाहित नारियों के यह सपने क्रूरता से टूट जाते हैं । वे पति द्वारा मार-पीट और यातना की अन्तहीन लम्बी अन्धेरी गुफाओं में अपने आपको पाती हैं, जहाँ उनकी चीख-पुकार सुने वाला कोई नहीं होता । दुःख तो यह है कि ऐसी मार-पीट का जिक्र करने में भी उन्हें लज्जा अनुभव होती है और यदि वे शिकायत भी करें तो खुद उन्हें ही दोषी माना जाता है या उन्हें भाग्य के सहारे चुपचाप सहने की सलाह दी जाती है । पड़ौसी ऐसे मामलों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि यह पति-पत्नी के बीच एक निजी मामला समझा जाता है । यदि पुलिस में रिपोर्ट करने जाएं तो वहाँ भी पुरुष प्रधान संस्कृति में पले पुलिस अधिकारी पहले नारी का ही मजाक उड़ाते हैं और रिपोर्ट लिखन ेमें आनाकानी करते हैं । पुरुष को पत्नी की पिटाई का निरपेक्ष अधिकार है और आम आदमी यह मानकर चलता है कि नारी पिटने लायक ही होगी अतः पिटेगी ही । दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर से शान्त और सम्मानित प्रस्थिति वाले अनेक परिवारों में, जहाँ पति-पत्नी दोनों शिक्षित और आत्म-निर्भर हैं, भी मार-पीट की घटनाएँ हो जाती हैं और यह नियमितता का रूप लेने लगती है । कहाँ-कहाँ पिता भी अपनी अविवाहित बेटियों के साथ बहुत मार-पीट करते हैं । ऐसी स्थित में सामाजिक द्रष्टि से नारी बड़ा असहाय महसूस करती है क्योंकि वह जहाँ कहाँ शिकायत करे, चाहे पड़ौसी हो, चाहे उसके सगे-सम्बन्धी, चाहे पुलिस, वकील या जज, सभी उसे समझौता करने की सलाह देते हैं ।

घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएँ, पत्नी के साथ भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, विधवाओं तथा बुजुर्ग नारियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्याएं इत्यादि को प्रमुखतः सम्मिलित किया जा सकता है । इन्हें निम्न प्रकार से समजा जा सकता है -

दहेज हत्याएँ-

भारतीय समाज में नारी के लिए विवाह में दहेज अनिवार्य है । इसलिए दहेज की समस्या एक भयंकर समस्या बनती जा रही है । आए दिन समचारपत्रों में दहेज की शिकार अभागी नारियों के जलाने की घटनाओं का विवरण छपा होता है । पिछले कुछ वर्षो में ऐसी घटनाओं का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है और दहेज का समाज के प्रत्येक समुदाय में प्रसार भी होता जा रहा है । इसके विरुद्ध हाल ही में कठोर कानून भी बनाए गए हैं, पर पति के परिवार में अकेली नारी क्या करे ? पिता या भाई भी कब तक विवाहित बेटी या बहन को अपने घर पर रखें । कहीं-कहीं आर्थिक कठिनाई उन्हें मजबूर करती है कि वे उसे पति के घर वापस भेज दें और कहीं-कहीं सामाजिक निन्दा उन्हें मजबूर करती है कि बेटी के लालची ससुराल वालों के साथ समझौता करने का प्रयत्न करते रहें । परिणाम अभागी नारी की मृत्यु ही होता है ।

अधिकांश दहेज हत्याएँ पति के घर में पति पक्ष के लोगों द्वारा एकान्त में की जाती हैं । इनका कोई अधिक ठोस प्रमाण न मिल पाने के कारण पति तथा पति पक्ष के लोग ऐसा करने पर भी कई बार बच जाते हैं । अनेक दहेज हत्याओं को सामान्य मृत्यु बता दिया जाता है और इस प्रकार से उनकी कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हो पाती ।

भावात्मक एवंलैंगिक दुर्व्यहार - न्यायमूर्ति डो. पी. वेनूगोपालने भावात्क एवं लैंगिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा का प्रमुख प्रकार बताया है । यदि पति अन्य लोगों की उपस्थिति में पत्नी का अपमान करता है, उसे सारे दिन में किए गए कार्यो का लेखा-जोखा देने हेतु विवश करता है तथा अन्य किसी पुरुष के साथ उसके यौन सम्बन्ध के सन्देह में उसकी अवमानना करता है तो इसे भावात्मक दुर्व्यवहार कहा जाता है । लैंगिक दुर्व्यवहार से अभिप्राय पत्नी के साथ यौन सम्बन्धी कार्यों हेतु उसकी इच्छा के विरुद्ध जोर जबरदस्ती करना है । यदि पत्नी शराब अथवा किसी अन्य नशे के प्रभाव में है और वह उस समय यह नहीं जानती कि क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में उस पर लैंगिक प्रहार करना लैंगिक

दुर्व्यवहार का एक अन्य रूप है । इनका कहना है कि बिना प्यार के यौन सम्बन्ध स्थापित करना लैंगिक दुर्व्यवहार है ।

पत्नी को पीटना - विवाह के सन्दर्भ में नारियों के प्रति हिंसा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि जिससे उसे प्यार करने व संरक्षण प्रदान करने की आशा की जाती है वही उसे पीटना शुर कर देता है । यह पति पर पत्नी के विश्वास को पूर्णतः भंग कर देता है । भारत में पत्नी को पीटने की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है । कई बार ऐसी घटनाएँ पति नशे में ही अधिकतर करते हैं, परन्तु अन्यथा भी ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं । वह सारा अत्याचार चुपचाप सहन करती है और अपने भाग्य को कोसती रहती है ।

राम आहूजा ने 60 ऐसी नारियों से जो आंकड़े एकत्रिक किए, उनका विश्लेषण निम्नांकित तथ्यों की ओर संकेत करता है -

1. 25 वर्ष से कम की पत्नियाँ पति द्वारा मार-पिटाई का अधिक शिकार होती हैं ।
2. जो पत्नियाँ पति से आयु में पाँच या अधिक वर्ष छोटी होती है, उनकी मार-पिटाई की सम्भावना अधिक होती है ।
3. इस प्रकार की घटनाओं की शिकार नारियाँ यद्यपि निम्न आय वाले परिवारों की होती हैं तथापि आय को पत्नी के पीटने से अनिवार्य रूप से नहीं जोड़ा जा सकता है ।
4. परिवार के आकार व रचना का पत्नी को पीटने से कोई सम्बन्ध नहीं है ।
5. पति द्वारा पिटाई से कोई गम्भीर चोटें नहीं पहुँचती ।
6. यौनिक असामंजस्य, भावात्मक, अशान्ति, पति का अत्यधिक अहम् या उसमें निम्नता की भावना, पति की मद्यपानता, ईर्ष्या तथा त्नी की निष्क्रियता व बुजदिली पत्नी के साथ मार-पिटाई के प्रमुख कारण है ।

7. पति का बचपन में हिंसा के प्रति प्रकाशकरण पत्नी को पीटने में एक प्रमुख कारण है ।

8. यद्यपि अशिक्षित नारियों से ऐसा दुर्व्यवहार अधिकतर होता है, फिर भी शिक्षा तथा पत्नी को पीटने में कोई अनिवार्य सहसम्बन्ध नहीं है।

9. यद्यपि उन पत्नियों में ऐसे दुर्व्यवहार की सम्भावना अधिक है जिनके पति मद्यपान करतेत हैं, परन्तु अधिकांशतः पति पत्नी की मार-पिटाई मद्यपान की दशा में नहीं करते, अपितु तब करते हैं जबकि वे अमत्त होते हैं, अर्थात् पिए हुए नहीं होते ।

राम आहूजा के अनुसार विधवाओं के प्रति हिंसा के प्रमुख लक्षण निम्नांकित हैं -

1. मध्य आयु वर्ग की विधवाओं की तुलना में युवा विधवाओं का अधिक अपमान व शोषण होता है ।

2. सामान्यतः विधवाओं को पति के व्यापार, वैंक खातों, जीवन बीमा पोलिसियों इत्यादि का बहुत कम ज्ञान होता है, जिसके कारण वे पति पक्ष के सदस्यों के धोखे में आ जाती हैं जो उन्हें उनके मृत पतियों की सम्पत्ति नहीं देना चाहते

3. विधवाओं पर हिंसा को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति पति पक्ष के ही सदस्य होते हैं

4. शोषण के तीन प्रेरकों (शक्ति, सम्पत्ति व यौन शोषण) में मध्यम वर्ग की विधवाओं के प्रति हिंसा हेतु सम्पत्ति अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, निम्न वर्ग में यौन शोषण अधिक महत्त्वपूर्ण है, जबकि शक्ति दोनों मध्यम व निम्न वर्ग की विधवाओं के प्रति हिंसा में अधिक महत्त्वपूर्ण है ।

5. यद्यपि सास का स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व विधवाओं के शोषण में प्रमुख कारक है, तथापि विधवाओं की निष्क्रियता व बुजजदिली उनके शोषण में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं ।

6. आयु, शिक्षा तथा वर्ग विधवाओं के शोषण से महत्त्वपूर् रूप से समसम्बन्धित हैं, परन्तु परिवार की रचना तथा आकार का इससे कोई सहसम्बन्ध नहीं है ।

दहेज के अतिरिक्त मार-पीट के द्वारा भी नारी हत्या की अनेक घटनाएँ मिलती हैं । कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि नारियाँ ही नारियाँ की दुश्मन हैं । प्रायः सास ही बहू पर अत्याचार करती है । परन्तु सच्चाई यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से पुरुष ही नारियों को ऐसे उत्पीड़न का हथियार बनाते हैं । भला वह नारियाँ जिन्हें परिवार के लिए किसी भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, किसी अन्य नारी की जान कैसे ले सकती हैं ? इस सम्बन्ध में हम नीना कपूर को पुनः उद्धृत करना चाहेंगे, जिन्होंने वस्तु-स्थिति का बड़ा सही निर्णय लिया है, "सम्भवतः यह शक्ति का अहसास है, शक्ति किसी अपनी ही श्रेणी के किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर और उसके विरुद्ध, परन्तु यह आत्म-निर्णय की शक्ति नहीं है । ऐसी नारियाँ (जैसे सास, ननद, जेठानी आदि) तो पितृसत्तात्मक परिवार की वफादार सिपाही हैं जो अपनी ही नारी जाति का खून बहाती हैं ताकि उनके मालिक का हित हो सके । वास्तव में, वह प्रायः निर्दोष पक्ष बनकर दूर खड़ा हो जाता है और नारी-बनाम-नारी द्वन्द्व का निर्णायक और जज बन जाता है ।"

संदर्भः

1. कन्या भ्रूणहत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, प्रकाश निारायण नाटाणी, बुक एनक्लेव, जयपुर ।
2. भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएँ, डो. सुलोचना श्रीहरी देशपांडे, श्रुति पब्लिकेशन, जयपुर ।
3. महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा और कन्या भ्रूणहत्या, प्रकाश नारायण नाटाणी, बुक पब्लिकेशन, जयपुर ।
4. www.googlesearch working womans and devlopment